To Regularize the Unapproved Colonies

57 Sh. AMARJEET DHANDA (Julana):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that unapproved colonies in Julana municipality have been developed more than 70% and which follows all the rules; and
- b) if so, the time by which such colonies are likely to be regularized?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister

Sir,

- a) The proposal of 5 unauthorized colonies of Municipal Committee Julana were received from District Municipal Commissioner, Jind. The built up area of each colony was less than 40%. The colonies were examined as per the norms circulated vide letter dated 03.03.2023 and found that out of 5 colonies, 4 colonies do not fulfill the norms regarding minimum width of internal roads i.e 3 meters. Therefore, the same have been returned to the District Municipal Commissioner, Jind for re-verification of width of internal roads. Further, 1 colony of Municipal Committee, Julana having area of 6.25 acres is declared as Civic Amenities and Infrastructure deficient area vide notification dated 06.10.2023.
- b) After receipt of re-verification report from the District Municipal Commissioner, Jind as sought by the Directorate, the remaining colonies will be considered for declaring Civic Amenities and Infrastructure deficient area, if found as per norms.

अस्वीकृत कॉलोनियों को नियमित करना

57 श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना) :

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :--

- (क) क्या यह तथ्य है कि जुलाना नगर पालिका में अस्वीकृत कॉलोनियां 70% से ज्यादा विकसित हो चुकी है तथा जो कि सभी नियमों का पालन करती हैं; तथा
- (ख) यदि हां, तो इन कॉलोनियों को कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

डा० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा

- (क) नगर पालिका जुलाना की 5 अनिधकृत कॉलोनियों का प्रस्ताव जिला नगर आयुक्त, जींद से प्राप्त हुआ। प्रत्येक कॉलोनी का निर्मित क्षेत्र 40% से कम था। पत्र दिनांक 03.03.2023 द्वारा प्रसारित मानदंडों के अनुसार कॉलोनियों की जांच की गई और पाया गया कि 5 कॉलोनियों में से 4 कॉलोनियां आंतरिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई यानी 3 मीटर के मानदंडों को पूरा नहीं करती है। इसलिए, आंतरिक सड़कों की चौड़ाई को पुनः सत्यापन के लिए इसे जिला नगर आयुक्त, जींद को वापस कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका समिति, जुलाना में 6.25 एकड़ क्षेत्रफल की एक कॉलोनी को दिनांक 06.10.2023 के द्वारा अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित किया गया है।
- (ख) निदेशालय द्वारा मांगी गई पुनः सत्यापन रिपोर्ट जिला नगर आयुक्त, जींद से प्राप्त होने के उपरान्त, मानदंड़ों के अनुसार पाए जाने वाली बची हुई कॉलोनियों को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्र घोषित करने पर विचार किया जाएगा।